न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 059 / 2009

अनवान : —

1. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मनोहरलाल जाति अग्रवाल निवासी टिब्बी वर्तमान निवासी 73 सी ब्लॉक श्रीगंगानगर त0 व जिला श्रीगंगानगर।

— प्रार्थी

बनाम

1. गणेशीलाल पुत्र स्व0 श्री आईदान जाति अग्रवाल निवासी टिब्बी त0 टिब्बी।
2. श्रीमती कमलादेवी पत्नी मदनलाल पुत्री स्व0 आईदान जाति अग्रवाल निवासी वार्ड 16 हनुमान मंदिर के पीछे हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ।
3. श्रीमती सरोजदेवी पत्नी श्री सुभाष चमड़िया पुत्री स्व0 आईदान जाति अग्रवाल निवासी खाजूवाला त0 खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्री राजेन्द्रकुमार पुत्री स्व0 आईदान जाति अग्रवाल जरिये तामील असोपा कोरियर सर्विस गोयल जनरल स्टोर केईएम रोड़ बीकानेर।
5. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी अशोक कुमार पुत्री स्व0 आईदान जाति अग्रवाल निासी गली न023 मकान नम्बर 758 खेज रोड़ करोल बाग नई दिल्ली।
6. हरीशकुमार पुत्र स्व0 श्रीमती सुलोचना पत्नी श्री निरंजनलाल तलवाड़िया जाति अग्रवाल निवासी ऐलनाबाद श्री हनुमानगजी बगीची के पास ऐलनाबाद जिला सिरसा।
7. अमरकुमार पुत्र श्री जगमाल जाति जाट निवासी टिब्बी त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

—अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री सीएल सिडाना प्रार्थी
श्री जेपी शर्मा, सुभाष गर्ग अप्रार्थीगण

27/4/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये बैयनामा दिनांक 03—01—1966 को तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नंम्बर 4 एस. आर. डब्लयु. जमाबंदी संवत 2025 पत्थर नंम्बर 217 / 278 (29) किला नंम्बर 6 तादादी 10 बिस्वा किला नंम्बर 11 से 14, 17 से 24 तादादी 12 बीघा कुल तादादी 12 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि नन्दसिंह, प्रेमसिंह पिसरान सुन्दरसिंह से प्रतिफल देकर खरीद की। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता एंव अप्रार्थी संख्या के नाना स्व० आईदान ने अपने जीवनकाल में इसी बैयनामा के जरिये तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नंम्बर 4 एस.आर.डब्लयु. पत्थर नंम्बर 217 / 278 (29) किला नंम्बर 15, 16, 25 तादादी 3 बीघा व पत्थर नंम्बर 218 / 278 (30) किला नंम्बर 10 तादादी 10 बिस्वा, किला नंम्बर 11, 20,21 तादादी 3 बीघा कुल तादादी 6 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि खरीद की। बैयनामा दिनांक 03—01—66

Scanned with OKEN Scanner

कर दी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में से 5 बीघा कृषि भूमि विक्रय कर दी गई एंव विक्रय करने के बाद प्रार्थी के नाम 7 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि शेष रही । राजस्व विभाग द्वारा चक 4 एस. आर. डब्लयु. का नया चक 3 आर. के. बनाया गया। प्रार्थी की कृषि भूमि चक नंम्बर 3 आर. के. में पैमूद हुई, जो वर्तमान में चक नंम्बर 3 आर. के. पत्थर नंम्बर 217/278 (4) किला नंम्बर 6 तादादी 139 हैक्टयर किला नंम्बर 11,12,13, 19,20,21, 22 सालम कुल तादादी 1.910 हैक्टयर नाली प्रथम पर दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है । जो वाद का आधार है। यह कि सैटलमैन्ट विभाग ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना एंव बिना कोई नोटिस दिये बिना प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि के खाता में महेन्द्रकुमार के नाम 1.822 हैक्टयर व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता एंव अप्रार्थी संख्या 6 के नाना स्वर्गीय आईदान के नाम 1.088 हैक्टयर का इन्द्राज कतई गलत व विधिक प्रावधानों के विपरीत दर्ज कर दिया एंव वर्तमान जमाबंदी में यह प्रविष्टि कतई गलत व विधिक प्रावधानों के विपरीत दर्ज की हुई है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि का एकल स्वामी प्रार्थी ही है एंव प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि अपने नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करवाने का अधिकारी व दावेदार है । यह कि प्रार्थी ने पूर्व में राजस्व वाद बअनवानी महेन्द्रकुमार बनाम गणेशकुमार के नाम से राजस्व संख्या 104/92 प्रस्तुत किया, कालान्तर में इस वाद का नंम्बर बदल कर 28/96 दर्ज कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16–10–2000 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र डिक्री कर दिया गया। जिसके विरूद्व अप्रार्थी गणेशीलाल ने अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के न्यायालय में गणेशीलाल बनाम महेन्द्रकुमार के नाम से प्रस्तुत की, जो राजस्व अपील संख्या 56 ६ 2000/223 आर. टी. एक्ट पर दर्ज हुई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 25–10–2002 को गणेशीलाल द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर प्रकरण माननीय न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया कि आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 व 6 की माता स्वर्गीय आईदान की पुत्रियां है एंव अलग अलग जगहों पर निवास करते है । प्रार्थी द्वारा भरसक कोशिश करने के बाद भी उनके निवास स्थान का ज्ञान नहीं हो सका, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15–05–06 को प्रार्थी का वाद इस आदेश से दाखिल दफ्तर कर दिया गया कि न्यायहित में प्रार्थी का हक नहीं मारा जाये इसलिए यह छूट दी जाती है कि प्रार्थी अप्रार्थीगण के वारिसान का पता लगाकर पुनः वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।" चूँकि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15–05–06को उक्त आदेश के साथ वाद दाखिल दफ्तर कर दिया गया, अब प्रार्थी द्वारा यह नया वाद प्रस्तुत किया जा रहा है । अप्रार्थी

Scanned with OKEN Scanner

ख्या 1 ता 5 ने जानबुझकर बदयांतिपूर्वक इस तथ्य का ज्ञान होते हुए कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि में उनका कोई हक व अधिकार नहीं है एंव अप्रार्थी संख्या 7 को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान रहा है कि उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने बिना किसी हक व अधिकार के 073 हैक्टयर कृषि भूमि का बैयनामा दिनांक 25–05–2009 को अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में निष्पादित करवाकर पंजीबद्ध करवा दिया । यह बैयनामा बिना किसी हक व अधिकार के होने के कारण प्रार्थी के अधिकारों पर पूर्ण रूप से प्रभावहीन एंव शून्य है । अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25–05–09 को बैयनामा करवाये जाने के बाद अप्रार्थी ने चक नंम्बर 3 आर. के. पत्थर नंम्बर 217/278 (4) किला नंम्बर 6 की .088 हैक्टयर कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है। अप्रार्थी संख्या 7 को प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नहीं था । अप्रार्थी संख्या 7 प्रार्थी की उक्त .088 हैक्टयर कृषि भूमि का नाजायज लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में इस कृषि भूमि का ठेका प्रतिबीघा प्रतिवर्ष 20,000/– रूपये है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 7 से तायोम प्राप्ति कब्जा 7,000/– रूपया प्रतिवर्ष के हिसाब से ठेका राशि व इसी अनुसार शास्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है । अप्रार्थी संख्या 7 को प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा बनाये रखने का कोई हक व अधिकार नहीं है । प्रार्थी घोषणा की डिक्री इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी एकल स्वामी है एंव इस कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण का नाम विलोपित किया जाना न्यायोचित है एंव प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेघाज्ञा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी संख्या 6 व 7 प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि को रहन, बैय एंव अन्य तरीका से अन्तरित करने एंव इस कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का भार सृजित करने से निषिद्व रहे । प्रार्थी की कृषि भूमि के खाता में अप्रार्थी संख्या 6 व 7 का नाम अंकित किए जाने से प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है। प्रश्नगत बैयनामा शून्य दस्तावेज है जिसके आधार पर अप्रार्थी सं.7 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अप्रार्थी संख्या 7 प्रार्थी की कृषि भूमि का नाजायज लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है, प्रार्थी पूर्ण रूप से सद्भावी है एंव प्रश्नगत कृषि भूमि से 90 किलोमीटर की दूरा पर निवास करता है । अप्रार्थी संख्या 7 को बैयनामा दिनांक 25–05–09 में वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है । अप्रार्थी संख्या 7 ने प्रार्थी को यह धमकी दी है कि वह बैयनामा में वर्णित कृषि भूमि में गलत पदार्थ डालकर इसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देगा एंव इस कृषि भूमि को गलत प्रविष्टि के आधार पर रहन, बैय एंव अन्तरित कर देगा। ऐसी स्थिति में बैयनामा में वर्णित कृषि भूमि .088 हैक्टयर कृषि भूमि को कुर्क कर तहसीलदार टिब्बी को प्रापंक नियुक्त किया जाना न्यायोचित है ।

Scanned with OKEN Scanner

ह कि आज से एक सप्ताह पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण का नाम विलोपित करवा लेवे एंव उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के एकल स्वामित्व की होना स्वीकार कर लेवे एंव बैयनामा दिनांक 25ृ05ृ09 के आधार पर की गई प्रविष्टि को विलोपित करवा लेवे एंव प्रार्थी की कृषि भूमि को रहन,बैय एंव अन्तरित नहीं करे एंव इस कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का भार सृजित नहीं करे एंव बैयनामा के आधार पर जबरन कब्जा की गई कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी को सौप देवे लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी के निवेदन को मानने से कतई इन्कार हो गये। प्रथम दृष्टया मामला एंव सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अप्रार्थी सं. 7 प्रश्नगत कृषि भूमि का नाजायज लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत कृषि भूमि . 088 हैक्टयर कृषि भूमि को कुर्क कर तहसीलदार टिब्बी को प्रांपक नियुक्त किया जाना न्यायोचित है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा चक नं. 4 एस.आर.डब्लयु. वर्तमान चक नं. 3 आर.के. प.नं. 217 / 278 (4) किला नं. 66 तादादी .088 हैक्टयर कृषि भूमि को कुर्क कर तहसीलदार टिब्बी को प्रापंक नियुक्त किया जावे एंव ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत कृषि भूमि को रहन, बैय एंव अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने एंव इस कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का बैंक का भार सृजित करने से निषेद्व रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 7 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि **प्रार्थना** पत्र का चरण सं0 1 में अनुवान सदर का दावा अदालत हाजा में पेश होना स्वीकार है, कामयाबी की कोई आशा नही है । प्रार्थनापत्र की चरणसं0 2 अप्रार्थीगण के सजरा खानदान की फहरिस्त ज्ञान के अभाव में स्वीकार नही । प्रार्थनापत्र की चरणसं0 3 जिस तरह से अंकित की गई है, ज्ञान के अभाव में स्वीकार नही । प्रार्थनापत्र की चरण सं0 4 जिस तरह से अंकित की गई है, ज्ञान के अभाव में स्वीकार नही । प्रार्थनापत्र की चरणसं0 5 ज्ञान के अभाव में स्वीकार नही प्रार्थनापत्र की दफा 6 चक परिवर्तन होना सही है लेकिन अन्य तथ्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है । प्रार्थनापत्र की चरणसं0 7 के तथ्य जिस तरह से अंकित किये गये है, के अभाव में स्वीकार नही । प्रार्थनापत्र की चरणसं0 8 के तथ्य जिस तरह से अंकित किये गये है, ज्ञान के अभाव में स्वीकार नही । प्रार्थनापत्र की चरणसं0 9 से मुझ अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध नही है अन्य तथ्य ज्ञान के अभाव में स्वीकार नही । प्रार्थनापत्र की चरणसं0 10 कतई गलत अंकित की है, स्वीकार नही । क्योकि अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणसं० 1 ता 5 द्वारा मुझ अप्रार्थी को दिनांक 25.5.2009 को अपना हिस्सा विक्रय किया गया है मुझ

Scanned with OKEN Scanner

सा खरीद किया है। फोटो कॉपी बैयनामा संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र है । अप्रार्थीसं० ता 5 द्वारा खातेदारी रकबा बेचान किया गया है प्रार्थी ने यह कथन कतई गलत कित किया है कि कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 5 का कोई हक व हिस्सा न हो । नांक 25.5.2009 राजस्व रिकार्ड की स्थिति को देखकर मुझ अप्रार्थी द्वारा खातेदारी कृ भूमि खरीद की है। प्रार्थी ने यह कतई गलत अंकित किया है कि बैयनामा दिनांक 5.5.2009 प्रार्थी के अधिकारों पर प्रभावहीन व शून्य होने का प्रश्न ही पैदा नही होता । र्थनापत्र की चरणसं0 11 कतई गलत अंकित की है, स्वीकार नही । पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 25.5.2009 के अनुसार चक 3 आर. के. प0न0 217/ 278 मु० 4 किला नं0 6/. 088 है0 कृषि भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं0 1 ता 5 द्वारा बैयनामा की पालना में सम्भला देया गया मुझ अप्रार्थी द्वारा कोई नाजायज कब्जा नही किया गया है। मुझ अप्रार्थी द्वारा खातेदारी रकबा राजस्व रिकार्ड की स्थिति को देखकर खरीद किया गया है।प्रार्थी ने यह कथन कतई गलत अंकित किया है कि कृषि भूमि का ठेका प्रार्थी मुझ अप्रार्थी सं0 7 से प्राप्त करने का अधिकारी हो । प्रार्थनापत्र की चरणसं0 12 कतई गलत अंकित है, स्वीकार नही । प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के विरूद्व किसी भी तरह से शाश्वत व्यादेश की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नही। प्रश्नगत बैयनामा शून्य दस्तावेज नही, शून्य दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है । प्रार्थनापत्र की चरणसं0 13 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही। प्रार्थी ने यह कथन कतई गलत अंकित किया है कि बैयनामा मे वर्णित कृर्षि भूमि में गलत पदार्थ डालकर उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देगा व बैयनामा में वर्णित कृर्षि भूमि कुर्क कर तहसीलदार टिब्बी को प्रापक नियुक्त किया जाना कतई न्यायोचित नही हैं प्रार्थनापत्र की चरणसं0 14 प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के विरूद्व किसी भी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है । प्रार्थनापत्र की चरणसं0 15 गलत अंकित की गई है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में ना होकर मुझ अप्रार्थी के पक्ष में हैं। मुझ अप्रार्थी द्वारा खरीद की गई भूमि पर तहसीलदार टिब्बी को प्रापक नियुक्त किया जाना कतई न्यायोचित नही है । अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे ।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 3 आर. के. प0न0 217/ 278 मु० 4 किला नं0 6/.088 है0 भूमि को रहन, बैय मुन्तिकल न करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित रकबा चक 3 आर. के. प0न0 217/ 278 मु० 4 किला नं0 6/.088 है0 अप्रार्थी सं0 7 का जरिये बैयनामा खरीदशुदा रकबा है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए न्यायालय हाजा में धारा 88–188

Scanned with OKEN Scanner

आरटीएक्ट का मूल वाद जैरकार है जिसमें साक्ष्य सबूत व तनकीयात आदि लेखबद्व होने के बाद वादी/प्रार्थी के अधिकार तय होने है। अप्रार्थी सं0 7 वर्तमान में उक्त आराजी का रिकोर्ड खातेदार है अप्रार्थी सं0 7 ने उक्त आराजी प्रतिफल देकर जरिये पंजीबद्व बैयनामा खरीद की हैं जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायालय के अभिमत में न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में होना साबित होना जाहिर है। उक्त खरीदशुदा रकबे पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित रहने के कारण सुविधा का संतुलन बिन्दू व अपूर्णीय क्षति बिन्दू भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचानानुसार व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित नहीं होने के कारण खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/4/26.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सचिन नारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner